[भारत के राजपत्र, असाधारण, के II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं0. 42/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

सा०का०नि० ......(अ)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 684(अ), दिनांक, 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड-3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है; यथा:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रम सं. 10ग और उससे संबन्धित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10घ	अध्याय 99	उन सेवाओं की आपूर्ति जिनकी आपूर्ति का स्थान नेपाल या भूटान में तथा भारतीय रूपये के भुगतान के एवज में होती हो	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

[फा.सं. 354/221/2017-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट :- प्रधान अधिसूचना को अधिसूचना सं .9/-2017 एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, सा.का.नि6 .84(अ) , दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं .33201/7-एकीकृत कर (दर), दिनांक 13 अक्तूबर, 2017, सा. का.12 .नि76(अ) , दिनांक 13 अक्तूबर, 2017 के द्वारा संशोधन किया गया है।